



गाटा 534 व
गत 10/5



न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460505829
वाद संख्या:- 5829/2026
प्रवेश कुमार (नायब तहसीलदार) बनाम अनीत कुमार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 23/03/2026

वाद सं०-423
ग्राम-गहलवारा
निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इस्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98 (1) उ०प्र० राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-202515701041062495 आवेदक श्री अनीत कुमार पुत्र मैकूलाल के नाम अपर जिलाधिकारी महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 11.12.2025 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00207 की गाटा सं० 534सं रकबा 0.5810हे०, में से विक्रीत रकबा 0.0695हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री अनीत कुमार पुत्र मैकूलाल निवासी तिलसुवा, मलिहाबाद लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 16.01.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer:-

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



जाद-534

गहलवार



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- 7202610460507914
वाद संख्या:- 7914/2026
ज्ञानेश्वर प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम हिना आलम
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 24/04/2026

वाद सं० 1102

ग्राम गहलवारा

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इस्तहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/ मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खाता सं० 00174 की खसरा संख्या 534स का कुल रकबा 0.2880 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0139 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता हिना आलम पुत्री मौ० आलम निवासी ई०-2950, राजाजीपुरम, लखनऊ, उ०प्र० नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 12.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

क्रमांक नं०-2683

दिनांक: तहसीलदार

सरोजनीनगर, लखनऊ

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



गाथा- 534

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटीकृत वाद संख्या:- T202610460507267
वाद संख्या:- 7267/2026
ज्ञानदेव प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम नूर जहाँ
उत्तर प्रदेश राज्य संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-

वाढ स०-
ग्राम-गहलवारा

निर्णय

वाद सं०- ग्राम-गहलवारा नियंत्रण

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 05.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/निबन्ध न्यामानुसार इच्छा जारी किया गया। वाद मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवदा है। वाद वादी के साक्ष्य मे नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पूंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतोनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संपन्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व सहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवदा होने के कारण नामान्तरण आदेश पाशर करने मे कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पोसित किया जाता है।
आदेश - उपरोक्ता लखनऊ की खतोनी वर्ष 1426 से 1431 की खाता सं० 00174 की गाटा सं० 534 स् रकबा 1426 मीटर निवासी 356/255/100, राजा जीपुरम अवरफ

आदेश

मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत चित्रण के अभाव में, प्रमाणों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1426 से 1431 की खता सं 00174 की गाटा सं 534 सं रकबा 0.2880 हे० में से विक्रीत रकबा 0.0055 हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मांगु 60 खं से अंकित खातेदार विक्रेता श्रीमती 'नूरजहाँ' पत्नी स्व० मबीन निवासी 356/255/100, राजाजीपुरम अक्षरफ नगर आलमनगर लखनऊ नाम निरस्त करके केन्द्र मुख्यामंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत वरूण विहार आवस्यी योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत किया जायेगा।

विक्रयपत्र दिनांक 05.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Disclaimer: यह सूचना पत्र आधिकारिक नहीं है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता

Disclaimer:

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



पत्र 5348
गहलवारा

न्यायालय :- तहसीलदार, (न्यायिक)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- सुखवीर सिंह
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460507849
वाद संख्या:- 7849/2026
ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम रंजीत
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 09/05/2026

वाद सं०-

ग्राम-गहलवारा

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद की कार्यवाही वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र के आधार पर संस्थित किया गया, जो कि विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार इष्टाहार जारी किया गया। वाद में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः वाद निर्विवाद है। वाद वादी के साक्ष्य में नियत किया गया। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र इन्तखाब खतौनी प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय लेखपाल के बयान संलग्न है। यह विक्रयपत्र उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99, के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामान्तरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। किसी प्रकार का प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जनपद लखनऊ की खतौनी वर्ष 1425 से 1430 की खसरा सं० 534सं रकबा 0.5810हे० के बकदर भाग में से रकबा 0.1452हे० विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा०गु० 60ख से अंकित खातेदार विक्रेता श्री रंजीत पुत्र किशन निवासी मौदा, लखनऊ नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.02.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर अंकित किया जाये। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- तहसीलदार (न्यायिक)

सरोजनीनगर, लखनऊ।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



गाटा-534 के
गहलवाड़ा

न्यायालय :- नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)
पीठासीन अधिकारी का नाम:- शालिनी तिवारी
मण्डल :- लखनऊ, जनपद :- लखनऊ, तहसील :- सरोजनीनगर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202610460511256
वाद संख्या:- 11256/2026
शानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार) बनाम वीरेन्द्र कुमार शर्मा
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 01/06/2026

ग्राम- गहलवारा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ की खतौनी सन् 1426-1431 फ० की गाटा संख्या 534स का कुल रकबा 0.2880 हे० में से विक्रित रकबा 0.0092 हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग मा० गु० 60ख से विक्रेता श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र पुरन लाल निवासी सुन्नी पो० महरी बघौली हरदोई का नाम निरस्त करके क्रेता मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत वरूण विहार आवासीय योजना लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ का नाम जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2026 के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो। पत्रावली बाद अमलदरामद दाखिल दफतर हो।

क्रमांक संख्या :- 4435

विक्रय मूल्य :- 2,57,600/-

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"